

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 179/2020

प्रार्थी
तहसीलदार बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 रतनसिंह 2 मेगसिंह पिसरान गुलसिंह जाति
राजपूत निवासी पाबुपुरा, मारुड़ी तहसील व जिला
बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 68 RLA Act.

उपस्थिति :- 1. पैरोकार सरकार।

आदेश


दिनांक 06.04.20

प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम पाबुपुरा पटवार मण्डल मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 296 में से नव सृजित खसरा संख्या 587/296, 589/296 कुल रकबा 88.15 बीघा भूमि का ऐकीकरण कर खातेदारान रतनसिंह मेगसिंह पिसरान गुलसिंह जाति राजपूत निवासी पाबुपुरा मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर की बहस सुनी गई। प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम पाबुपुरा पटवार मण्डल मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 296 में से नव सृजित खसरा संख्या 587/296, 589/296 कुल रकबा 88.15 बीघा भूमि का ऐकीकरण कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित एकीकृत खसरा संख्या 587/296 रकबा 88.15 बीघा भूमि का ऐकीकरण कर अप्रार्थीगण खातेदारान के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पाबुपुरा पटवार मण्डल मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरुस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 296 में से नव सृजित खसरा संख्या 587/296, 589/296 कुल रकबा 88.15 बीघा भूमि का ऐकीकरण कर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तावित एकीकृत खसरा संख्या 587/296 रकबा 88.15 बीघा भूमि अप्रार्थीगण खातेदारान के नाम ऐकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया
कर डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम पाबूपुरा
मण्डल मारुड़ी तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा
दुरुस्ती करते वक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 296 में से नव
सृजित खसरा संख्या 587/296, 589/296 कुल रकबा 88.15 बीघा भूमि का
एकीकरण कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित एकीकृत खसरा संख्या 587/296
रकबा 88.15 बीघा भूमि खातेदार रतनसिंह मेगसिंह पिसरान गुलसिंह जाति राजपूत
निवासी पाबूपुरा मारुड़ी तहसील व जिला बाडमेर के नाम अंकित किये जाने के आदेश
दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख व लट्ठा ट्रेस में तरमीम
करें।

आदेश आज तारीख 06/09/21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर